रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 1973/अग्रहायण 10, 1895
No. 408] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 1973/AGRAHAYANA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 30th November 1973

S. O. 722(E).—In pursuance of sub-clause (3) of clause 9 of the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, S. O. 4375, the Central Government hereby specifies the Director, Public Vehicles Department, Government of West Bengal, Calcutta, as an authority before whom the books, accounts and records of every manufacturer and every dealer under the said Order in the State of West Bengal shall be produced for inspection.

[No. 8(30)/68-A.E. Ind. (I)]

S. M. GHOSH, Jt. Secy

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1973

का० आ० 722 (अ).—मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 के खण्ड 9 के उपखण्ड (2) के अनुसरण में और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 4375 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेशक लोक यान विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता को ऐसे प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके समक्ष पश्चिमी बंगाल में उक्त आदेश के अधीन प्रत्येक विनिर्माता और प्रत्येक व्यवहारी, की बहियां, लेखे और अभिलेख निरीक्षण के लिए पेश किए जाएंगे ।

[सं० 8(30)/68—ए० ई० उद्योग (1)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973